

के मोडे की यथास्थिति
 स्थिति पर तब
 रिश्वत 18/12/25
 15/25 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
 बंदीकूई (दोष)

कार्य
 यस्त
 मत
 11/25

कार्य
 यस्त
 मत
 11/25

उप खण्ड अधिकारी
 बंदीकूई (दोष)
 21/08/25

तारीख दुवम	प्रभुदयाल वर्मा बनाम नाथू सिंह वगैरे दुवम या कार्यवाही मय इमिडियेट्स जज	T-I 29/08/25	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस दुवम की तामील में जारी हुए
---------------	--	-----------------	---

21/08/25
 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य
 स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त
 होने से जनरल तारीख पेशी हो गई गत
 आवेश की पालना में दिनांक 23/09/25
 को पेश हो।

हस्ताक्षर/सील

23/09/25

पत्रावली पेश हुई। वकील प्राथमिक उपरो अग्रार्थिन
 से। लगा 3 नावजूद रिपोर्ट तामील उपर नहीं। ना
 ही उनकी ओर से कोई विधि प्रतिनिधि उप आया
 अतः अग्रार्थिन से। लगा 3 के विरुद्ध अपील प्रार्थना
 अग्रार्थिन में लाई जाती हो प्रार्थना पर अस्थायी निषेधाज्ञा
 पर प्राथमिक वकील बहम सुनी। कहव पर मनन किया
 प्रार्थना पत्र व पत्रावली में लिखन देखा जात का अग्रार्थिन
 किया। मूल वाद दावा अस्थायी निषेधाज्ञा का है। वाद की
 सुनवाई के दौरान अग्रार्थिन द्वारा वादग्रस्त भूमि में
 मजदूरों के पेश करने के अंशों के मध्यम पर प्रकरण
 जारी अग्रार्थिन अस्थायी निषेधाज्ञा को कन्सुम किया
 जाना उचित प्रतीत होगा। अतः प्राथमिक वकील बहम
 पर मनन करने व पत्रावली के अंतर्गत के आधार पर प्रकरण
 में जारी अग्रार्थिन अस्थायी निषेधाज्ञा अदिले दिरीत
 03/04/2025 के तारुतला मूल वाद कन्सुम किया जागा है
 पत्रावली कुषन सुमा देना अतः तबमीन शाखिले दफ्तर
 बनेर हम डिग मूल वाद हो।

उप खण्ड अधिकारी
 बंदीकूई (दोष)